

न्यायालय सहायक कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)**पीठासीन अधिकारी - श्री विनोद कुमार (आर.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 307/2019 (RCMS 2019/00508)	दायर दिनांक 11.10.2019	निर्णय दिनांक 11.10.2019
--	---------------------------	-----------------------------

अनवान

कैलाशचन्द्र पिता लक्ष्मण जाट आयु वयस्क निवासी धनेतखुर्द चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थी**बनाम**

तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ।

अप्रार्थी

--:: प्रार्थना पत्र बाबत दिलाये जाने मार्ग सुखाधिकार एवं राजस्व नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी में रास्ता का इन्द्राज करने अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 ::-

--:: निर्णय ::-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र खिलाफ अप्रार्थी के इस आशय का प्रस्तुत निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात मौजा मान्दलदेह पटवार हल्का पाण्डोली तहसील चित्तौड़गढ़ की खतौनी संख्या 1 जमाबंदी संवत् 2069-2072 में आराजी संख्या 412/2 रकबा 0.3150 हैक्टर दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के खातेदार व कब्जे काश्त में दर्ज रेकार्ड उक्त आराजीयात पर आने जाने का एक मात्र कदीमी रास्ता जो आम रास्ते से होकर आराजी संख्या 342, 351, 412 में से होकर पहुँचता है व इसी कदीमी रास्ते से प्रार्थी अपने खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात पर कदीम से आता जाता है। जो प्रार्थी का एक मात्र कदीमी रास्ता है व उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात पर आने जाने का और कोई रास्ता अवस्थित नहीं है। जिससे प्रार्थी कदीम से इसी रास्ते का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। आराजी संख्या 342, 351, 412 पर होकर आता जाता है। व उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता विपक्षी



के खातेदारी में दर्ज होने से विपक्षी उक्त रास्ते में आये दिन रोक टोक करते रहते हैं ऐसी स्थिति में राजस्व रिकार्ड में 10 बाई 10 मीटर चौड़ा व लम्बाई का रास्ता कदीम से रास्ते के उपयोग उपभोग में चला आ रहा है प्रार्थीगण रास्ता घोषित करा उक्त रास्ते की भूमि विपक्षी के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड होने से उक्त रास्ते की जो भी डीएलसी रेट से राशि बनती है व राशि प्रार्थी विपक्षी को अदा करने के लिए तत्पर एवं तैयार है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम मांदलदेह पटवार हल्का पाण्डोली में स्थित विपक्षी की आराजी संख्या 342, 351, 412 भूमि में रास्ता 10 बाई 10 मीटर चौड़ा प्रार्थीगण की आराजीयात में आने जाने हेतु किस्म रास्ता जमाबंदी में दर्ज किये जाने एवं तद्नुरूप नक्शा ट्रेस में उक्त रास्ता तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान करावें एवं विपक्षी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि वह रास्ता में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट बाधा उत्पन्न नहीं करे न ही किसी अन्य से करावें। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को वास्ते जांच एवं रिपोर्ट हेतु तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को प्रेषित किया गया। दिनांक 11.10.2019 को तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/राजस्व/2019/1632 दिनांक 04.10.2019 से प्रकरण में जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया गया जो शामिल पत्रावली है। दिनांक 11.10.2019 को प्रार्थी स्वयं हाजिर। प्रकरण रास्ते के संबंध में विवाद का होकर अंतर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अध्यक्षीन होने से प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किये जाने का आदेश दिया गया। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट जो कि शामिल पत्रावली है। मौका रिपोर्ट में तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रार्थी की आराजीयात में जाने के लिए आराजी संख्या 342, 351, 412 में से रास्ता चाहा गया है जो कि बिलानाम आरक्षित भूमि एवं चरागाह दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी की अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता आराजी संख्या 342 रकबा 0.91 हैक्टर किस्म बंजड बिलानाम भूमि में से 0.04 हैक्टर रास्ते का कुल क्षेत्रफल बनता है। जिस हेतु प्रार्थी नियमानुसार आरक्षित दर से जमा कराने हेतु



तैयार है। इसके साथ आराजी संख्या 351 रकबा 6.59 हैक्टर किस्म चरागाह जैसे 0.05 हैक्टर एवं आराजी संख्या 412 रकबा 2.22 हैक्टर किस्म चरागाह जैसे 0.02 हैक्टर कुल रकबा 0.07 हैक्टर भूमि किस्म चरागाह में चाही गई है। जिसकी एवज में प्रार्थी क्षतिपूर्ति हेतु अपनी निजी आराजीयात आराजी संख्या 412/2 रकबा 0.3150 हैक्टर में से 0.07 हैक्टर समर्पण करना चाहता है। इस प्रकार आराजी संख्या 342 रकबा 0.91 हैक्टर किस्म बंजउ बिलानाम भूमि जैसे 0.04 हैक्टर रास्ते हेतु भूमि चाहता है। इसके साथ रिपोर्ट तहसील राजस्व लेखाकार चित्तौड़गढ़ की रिपोर्ट अनुसार आराजी संख्या 342 रकबा 0.91 हैक्टर भूमि जैसे चाहे गये रास्ते के क्षेत्रफल 0.04 हैक्टर डीएलसी दर के दुगुने के रूप में कुल 40232/- रुपये अक्षरे चालीस हजार दौ सौ बत्तीस रुपये प्रार्थी से वसूल किये जाने योग्य है।

इसके साथ ही तहसीलदार चित्तौड़गढ़ की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा 40232/- रुपये अक्षरे चालीस हजार दौ सौ बत्तीस रुपय जमा करवाये जाते हैं एवं नियमानुसार राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र राजस्व(ग्रुप-6) विभाग क्रमांक/प.13(52) राज-6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के अनुसार अगर उक्त प्रस्तावित रास्ते को सार्वजनिक रास्ता किया जाता है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त भूमि बिलानाम रखते हुए प्रस्तावित रास्ते का बिलानाम रास्ता/सार्वजनिक रास्ता किया जाना उचित है। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में तहसीलदार चित्तौड़गढ़ में मौका रिपोर्ट में अंकित विशेष कथन द्वारा जवाब प्रार्थना के रूप में प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया हैं। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र इकबालिया जवाब प्रार्थना पत्र की ताईद में आता है।

रिपोर्ट तहसीलदार चित्तौड़गढ़ अनुसार प्रार्थी की खातेदारी आराजियात पर पहुँचने हेतु अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार इस अनुसार 0.04 हैक्टर भूमि हेतु प्रतिकर राशि 40232/- रुपये अक्षरे चालीस हजार दौ सौ बत्तीस रुपये नियमानुसार देय बनते हैं।

उपर्युक्त विश्लेषण से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को स्वीकार किया



जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि मौजा मांदलदेह पटवार हल्का पाण्डोली की आराजी संख्या 342 रकबा 0.91 हैक्टर मै से तहसीलदार चित्तौड़गढ़ की मौका रिपोर्ट में संलग्न प्रस्तावित लघुत्तम/निकटमत मार्ग मानते हुये रास्ता अंकित नजरी नक्शा के अनुसार 0.04 हैक्टर भूमि बिलानाम सरकार किरम रास्ता दर्ज रिकार्ड की जावें एवं इस हेतु प्रार्थी से प्रतिकर राशि 40232/- रूपये अक्षरे चालीस हजार दौ सौ बत्तीस रूपये वसूल की जाकर नियमानुसार राजकोष में जमा किये जावें। इस हेतु तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को आदेशित किया जाता है कि आदेशानुसार राशि प्रार्थी से वसूल की जाकर नियमानुसार राजकोष में जमा किये जावें एवं तत्पश्चात् राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शों में आवश्यक तरमीम करवाई जावें। प्रस्तावित लघुत्तम/निकटमत मार्ग मानते हुये रास्ता अंकित नजरी नक्शा प्रमाणित अंकन किया जाकर निर्णय का भाग रहेगा। निर्णय की प्रति तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें।

--:: क्रियात्मक आदेश ::--

तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को आदेशित किया जाता है कि रास्ते हेतु प्रतिकर राशि 40232/- रूपये अक्षरे चालीस हजार दौ सौ बत्तीस रूपये वसूल की जाकर नियमानुसार राजकोष में जमा किये जाकर मौजा मांदलदेह पटवार हल्का पाण्डोली आराजी संख्या 342 रकबा 0.91 हैक्टर मैसे मौका रिपोर्ट में रास्ते हेतु प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार 0.04 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 0.04 हैक्टर भूमि बिलानाम सरकार किरम रास्ता दर्ज रिकार्ड की जावें। एवं नक्शों में आवश्यक तरमीम की जावें।

पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। यह निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर आज दिनांक 11.10.2019 को सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
चित्तौड़गढ़

